क्लर्कों की गार्ड के तौर पर पदोन्नति

१६११. **श्री यादव :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) उत्तर रेलवे के लखनऊ डिवीजन में १९३२ से अब तक कितने क्लर्कों को पदोन्नति देकर गार्ड बनाया गया और उन्हें पदोन्नति किन-किन वर्षों में दी गई ,

(ख) क्या कुछ क्लर्कों को बिना चुनाव के गार्ड की पदोन्नति दी गई ,

(ग) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है और उन्हें किस-किस वर्ष में पदोन्नति दी गई तथा इस ढंग की पदोन्नति देने के क्या कारण हैं ,

(घ) क्या कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने स्थानापन्न गार्ड के रूप में काम किया था परन्तु इस पद पर पदोन्नति के लिये उन्हें नहीं चुना गया , और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) १९३२ से १९३४ कोई नहीं

	१९३५	१
	१९३६	१
	१९३७	कोई नहीं
	१९३८	१
	१९३९	कोई नहीं
	१९४०	१
	१९४१	२
	१९४२	३
	१९४३	१
	१९४४	१
	१९४५	१
१९४६ से	१९४७	कोई नहीं
	१९४८	१
	१९४९	२
	१९५०	२
	१९५१	१
	१९५२	कोई नहीं
	१९५३	३
	१९५४	१
	१९५५	४
१९५६ से	१९५७	कोई नहीं
	१९५८	१
जोड़		२७

(ख) और (ग) केवल एक क्लर्क को १९५८ में गार्ड के पद पर तरक्की दी गई है । यह प्रबन्ध अस्थायी है और तब तक के लिये किया गया है जब तक इस पद पर तरक्की पाने के हकदार विभिन्न कोटि (Categories) के कर्मचारियों की उपयुक्तता-परीक्षा (Suitability Test) नहीं हो जाती ।

(घ) जी हां ।

(ङ) काम जारी रखने के लिये अस्थायी प्रबन्ध करना पड़ा ।

Railway Dispensaries

1612. Shri Daljit Singh: Will the Minister of Railways be pleased to state

(a) the number of full time departmental dispensaries established upto-date to provide medical facilities to Railway employees,

(b) the names of the places where these are established, and

(c) the total number of beds in each of the dispensaries?

The Deputy Minister of Railways (Shri S. V. Ramaswamy): (a) 452.

(b) and (c). A statement is laid on the Table of the House. [*See* Appendix IV, annexure No. 58.]